

## ANNEXURE-VI

## Maharashtra University of Health Sciences, Nashik

Name of College: Y.D. Mane Institute of Nursing, Kagal, Kolhapur Faculty: NursingAcademic Year :- 20.25-20.26College Code: 15.215.1 MUHS Staffing Pattern 07/2024 Table No:- 1Intake:- B.Sc Nursing:- 60 P.B.B.Sc Nursing:- — M.Sc Nursing:- —

Teaching Staff :- (UG/PG)

|            | PROFESSOR CUM PRINCIPAL |       |         | PROFESSOR CUM VICE PRINCIPAL |       |         | PROFESSOR |       |         | ASSOCIATE PROFESSOR |       |         | ASSISTANT PROFESSOR/LECTURER |       |         | TUTOR/CLINICAL INSTRUCTOR |       |         | TOTAL |       |         | PERCENTAGE |       |         |
|------------|-------------------------|-------|---------|------------------------------|-------|---------|-----------|-------|---------|---------------------|-------|---------|------------------------------|-------|---------|---------------------------|-------|---------|-------|-------|---------|------------|-------|---------|
|            | Req.                    | Exist | Deficit | Req.                         | Exist | Deficit | Req.      | Exist | Deficit | Req.                | Exist | Deficit | Req.                         | Exist | Deficit | Req.                      | Exist | Deficit | Req.  | Exist | Deficit | Req.       | Exist | Deficit |
|            |                         |       |         |                              |       |         |           |       |         |                     |       |         |                              |       |         |                           |       |         |       |       |         | %          | %     | %       |
| TOTAL      | 01                      | 01    | 0       | 01                           | 01    | 0       | 01        | 0     | 01      | 2                   | 01    | 01      | 03                           | 02    | 01      | 16                        | 11    | 05      | 24    | 16    | 08      |            |       |         |
| Approved   |                         |       |         |                              |       |         |           |       |         |                     |       |         |                              |       |         |                           |       |         |       |       |         | 100%       | 67%   | 33%     |
| Unapproved |                         | 01    |         |                              | 01    |         |           | 0     |         |                     | 01    |         |                              | 02    |         |                           | 11    |         |       | 16    |         |            |       |         |

Staff Approval on Process Not to be counted as Approved Staff till get approval letter from University and Check Eligibility of Unapproved Staff before Counting

Approval outward No : Ref.No KES/83/2024 -25

Date: 18/2/23Approved pending at  
MUHS level.Dean/Principal Stamp & Signature  
Y.D. Mane Institute of Nursing  
Kagal, Tal. Kagal, Dist. Kolhapur

30



Ion. Late Shri Y. D. Mane  
Founder

BOMBAY PUBLIC TRUST ACT NO.: F-62 KOLHAPUR

SOCIETIES REGISTRATION ACT NO.: BOM 152-KPR

EXEMPTED UNDER IT SECTION 80G



# THE KAGAL EDUCATION SOCIETY, KAGAL

Y. D. MANE, INSTITUTE OF NURSING KAGAL

Secretary: Shri Pratap (Bhaiyya) Y. Mane

Affiliated with MUHS NATHIK

Ref. No / KES / 83 / 2024 - 25

DT - 24/12/2024

मा समन्वयक,

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ,

विभागीय कार्यालय,

शेंडा पार्क, कोल्हापूर.

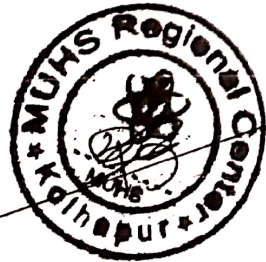
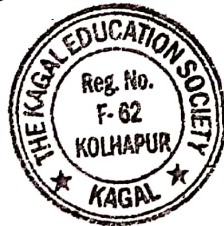
विषय :- शिक्षक मान्यता (Staff Approval) फाईल जमा करून घेणेबाबत.

महोदय,

वरिल उपरोक्त विषयास अनुसरून आमच्या दि कागल एज्युकेशन सोसायटी संचलित वाय.डी.माने इन्स्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग, (B.Sc) कागल यांचेसाठी दि.26/11/2024 रोजी दै. पुढारी मध्ये शिक्षक भरतीसाठी जाहीरात दिली होती. त्या अनुशंगाने महाराष्ट्र राज्य आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ यांचे नियुक्त व्ही.सी नॉमीनी श्रीमती संगीता सातवेकर, श्रीमती रेगीना सातवेकर आणि श्री मिलींद काळे यांचे मार्फत प्राचार्य पद - 01, उपप्राचार्य पद-01, लेक्चरर पद- 01, तसेच ट्यूटर पद 04 इ.पदांसाठी मुलाखत व भरतीप्रक्रीया पार पडली. तरी सदर शिक्षक भरतीचा व्ही.सी नॉमीनी व समीतीसदस्यांचा अहवाल व स्टाफ कागदपत्रे आपणाकडे माठवित आहोत तरी त्याचा स्वीकार व्हावा ही नम्र विनंती.

कळावे,

O/C



24/12/24  
Campus Director  
Y. D. Mane Campus  
The Kagal Education Society's

## Address for Correspondence

426/5, Y.D.Mane Campus, Near Alka Farm,  
Kagal-Sangaon Road, Kagal, Tal. Kagal,  
Dist. Kolhapur (MS) 416 216

## Registered Address

C. S. No.: 2071, Shahu Niwas, Campus of  
D. R. Mane Mahavidyalaya, A/p Kagal, Tal. Kagal,  
Dist. Kolhapur - 416 216 (MS)

Mobile : +91 8380015603

Ph.: Off. : (02325) 245292

Web : www.keskagal.edu.in

E-mail : office@keskagal.edu.in

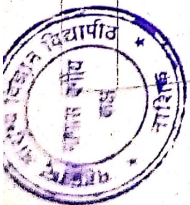
keskagal@rediffmail.com



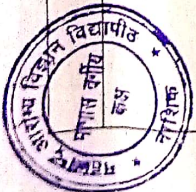
Scanned with OKEN Scanner



| अ.क्र. | संवर्ग-(सरळसेवा) वर्ग-(१-२) |                                              | आकृतीबध्द आराखड्या प्रमाणे मंजूर पदे | विद्यार्थ्यांना मंजूर केलेली अतिरिक्त / जादा पदे | एकूण मंजूर पदे | भरलेली पदे | रिक्त पदे | पदे प्रवृत्ति निहाय व एकूण | मंजूर पदावर आवश्यक आरक्षण | प्रत्यक्ष दिलेले आरक्षण | अनुषंग | शेरा                                |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|-------------------------------------|
|        | पदनाम                       | विषय                                         |                                      |                                                  |                |            |           |                            |                           |                         |        |                                     |
| २      | उपप्राचार्य / प्राध्यापक    | एनी वन ऑफ दि सबजेक्टस                        | ०१                                   | —                                                | ०१             | —          | ०१        | अजा                        | —                         | —                       | —      | एकाकी पदास आरक्षण लागू नाही.        |
|        |                             |                                              |                                      |                                                  |                |            |           | अज                         | —                         | —                       | —      |                                     |
|        |                             |                                              |                                      |                                                  |                |            |           | विजाभज                     | —                         | —                       | —      |                                     |
|        |                             |                                              |                                      |                                                  |                |            |           | विमाप्र                    | —                         | —                       | —      |                                     |
|        |                             |                                              |                                      |                                                  |                |            |           | इमाव                       | —                         | —                       | —      |                                     |
|        |                             |                                              |                                      |                                                  |                |            |           | साशैमाप्र                  | —                         | —                       | —      |                                     |
|        |                             |                                              |                                      |                                                  |                |            |           | आदुघ                       | —                         | —                       | —      |                                     |
|        |                             |                                              |                                      |                                                  |                |            |           | अराखीव                     | ०१                        | ००                      | ०१     |                                     |
|        |                             |                                              |                                      |                                                  |                |            |           | एकूण                       | ०१                        | ००                      | ०१     |                                     |
| ३      | प्राध्यापक                  | एनी वन ऑफ दि सबजेक्टस                        | ०१                                   | —                                                | ०१             | —          | ०१        | अजा                        | —                         | —                       | —      | एकाकी पदास आरक्षण लागू नाही.        |
|        |                             |                                              |                                      |                                                  |                |            |           | अज                         | —                         | —                       | —      |                                     |
|        |                             |                                              |                                      |                                                  |                |            |           | विजाभज                     | —                         | —                       | —      |                                     |
|        |                             |                                              |                                      |                                                  |                |            |           | विमाप्र                    | —                         | —                       | —      |                                     |
|        |                             |                                              |                                      |                                                  |                |            |           | इमाव                       | —                         | —                       | —      |                                     |
|        |                             |                                              |                                      |                                                  |                |            |           | साशैमाप्र                  | —                         | —                       | —      |                                     |
|        |                             |                                              |                                      |                                                  |                |            |           | आदुघ                       | —                         | —                       | —      |                                     |
|        |                             |                                              |                                      |                                                  |                |            |           | अराखीव                     | ०१                        | ००                      | ०१     |                                     |
|        |                             |                                              |                                      |                                                  |                |            |           | एकूण                       | ०१                        | ००                      | ०१     |                                     |
| ४      | सहयोगी प्राध्यापक           | मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग / फाऊंडेशन ऑफ नर्सिंग | —                                    | —                                                | —              | —          | —         | अजा                        | —                         | —                       | —      | स्टाफिंग पॅटर्ननुसार पद मंजूर नाही. |
|        |                             |                                              |                                      |                                                  |                |            |           | अज                         | —                         | —                       | —      |                                     |
|        |                             |                                              |                                      |                                                  |                |            |           | विजाभज                     | —                         | —                       | —      |                                     |
|        |                             |                                              |                                      |                                                  |                |            |           | विमाप्र                    | —                         | —                       | —      |                                     |
|        |                             |                                              |                                      |                                                  |                |            |           | इमाव                       | —                         | —                       | —      |                                     |
|        |                             |                                              |                                      |                                                  |                |            |           | साशैमाप्र                  | —                         | —                       | —      |                                     |
|        |                             |                                              |                                      |                                                  |                |            |           | आदुघ                       | —                         | —                       | —      |                                     |
|        |                             |                                              |                                      |                                                  |                |            |           | अराखीव                     | —                         | —                       | —      |                                     |
|        |                             |                                              |                                      |                                                  |                |            |           | एकूण                       | ००                        | ००                      | ००     |                                     |
|        | सहयोगी प्राध्यापक           | कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग                      | ०१                                   | —                                                | ०१             | —          | ०१        | अजा                        | —                         | —                       | —      | एकाकी पदास आरक्षण लागू नाही.        |
|        |                             |                                              |                                      |                                                  |                |            |           | अज                         | —                         | —                       | —      |                                     |
|        |                             |                                              |                                      |                                                  |                |            |           | विजाभज                     | —                         | —                       | —      |                                     |
|        |                             |                                              |                                      |                                                  |                |            |           | विमाप्र                    | —                         | —                       | —      |                                     |
|        |                             |                                              |                                      |                                                  |                |            |           | इमाव                       | —                         | —                       | —      |                                     |
|        |                             |                                              |                                      |                                                  |                |            |           | साशैमाप्र                  | —                         | —                       | —      |                                     |
|        |                             |                                              |                                      |                                                  |                |            |           | आदुघ                       | —                         | —                       | —      |                                     |
|        |                             |                                              |                                      |                                                  |                |            |           | अराखीव                     | ०१                        | ००                      | ०१     |                                     |
|        |                             |                                              |                                      |                                                  |                |            |           | एकूण                       | ०१                        | ००                      | ०१     |                                     |
|        | सहयोगी प्राध्यापक           | पिडियाट्रिक नर्सिंग                          | ०१                                   | —                                                | ०१             | —          | ०१        | अजा                        | —                         | —                       | —      | एकाकी पदास आरक्षण लागू नाही.        |
|        |                             |                                              |                                      |                                                  |                |            |           | अज                         | —                         | —                       | —      |                                     |
|        |                             |                                              |                                      |                                                  |                |            |           | विजाभज                     | —                         | —                       | —      |                                     |
|        |                             |                                              |                                      |                                                  |                |            |           | विमाप्र                    | —                         | —                       | —      |                                     |
|        |                             |                                              |                                      |                                                  |                |            |           | इमाव                       | —                         | —                       | —      |                                     |
|        |                             |                                              |                                      |                                                  |                |            |           | साशैमाप्र                  | —                         | —                       | —      |                                     |
|        |                             |                                              |                                      |                                                  |                |            |           | आदुघ                       | —                         | —                       | —      |                                     |
|        |                             |                                              |                                      |                                                  |                |            |           | अराखीव                     | ०१                        | ००                      | ०१     |                                     |
|        |                             |                                              |                                      |                                                  |                |            |           | एकूण                       | ०१                        | ००                      | ०१     |                                     |



| अ.क्र. | संवर्ग-(सरळसेवा) वर्ग-(१-२) |                                              | आकृतीबंध आराखड्या प्रमाणे मंजूर पदे | विद्यपीठाने मंजूर केलेली अतिरीक्त / जादा पदे | एकूण मंजूर पदे | भरलेली पदे | रिक्त पदे | प्रवर्ग निहाय पदे व एकूण                                                      | मंजूर पदावर आवश्यक आरक्षण                   | प्रत्यक्ष दिलेले आरक्षण                    | अनुगेष                                      | शेरा                                |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
|        | पदनाम                       | विषय                                         |                                     |                                              |                |            |           |                                                                               |                                             |                                            |                                             |                                     |
| ४      | सहयोगी प्राध्यापक           | ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग                         | —                                   | —                                            | —              | —          | —         | अजा<br>अज<br>विजाभज<br>विमाप्र<br>इमाव<br>साशैमाप्र<br>आदुघ<br>अराखीव<br>एकूण | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>००  | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>०० | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>००  | स्टाफिंग पॅटर्ननुसार पद मंजूर नाही. |
|        |                             | सायकॅट्रिक नर्सिंग                           | —                                   | —                                            | —              | —          | —         | अजा<br>अज<br>विजाभज<br>विमाप्र<br>इमाव<br>साशैमाप्र<br>आदुघ<br>अराखीव<br>एकूण | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>००  | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>०० | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>००  | स्टाफिंग पॅटर्ननुसार पद मंजूर नाही. |
| ५      | व्याख्याता                  | मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग / फाऊंडेशन ऑफ नर्सिंग | ०१                                  | —                                            | ०१             | —          | ०१        | अजा<br>अज<br>विजाभज<br>विमाप्र<br>इमाव<br>साशैमाप्र<br>आदुघ<br>अराखीव<br>एकूण | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>०१<br>०१ | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>०० | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>०१<br>०१ | एकाकी पदास आरक्षण लागू नाही.        |
|        |                             | कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग                      | —                                   | —                                            | —              | —          | —         | अजा<br>अज<br>विजाभज<br>विमाप्र<br>इमाव<br>साशैमाप्र<br>आदुघ<br>अराखीव<br>एकूण | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>००  | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>०० | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>००  | स्टाफिंग पॅटर्ननुसार पद मंजूर नाही. |
|        |                             | पिडियाट्रिक नर्सिंग                          | —                                   | —                                            | —              | —          | —         | अजा<br>अज<br>विजाभज<br>विमाप्र<br>इमाव<br>साशैमाप्र<br>आदुघ<br>अराखीव<br>एकूण | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>००  | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>०० | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>००  | स्टाफिंग पॅटर्ननुसार पद मंजूर नाही. |



| अ.क्र. | संवर्ग-(सरळसेवा) वर्ग-(१-२)   |                      | आकृतीबंध आराखड्या प्रमाणे मंजूर पदे | विद्यार्थीनाते मंजूर केलेली अतिरिक्त / जादा पदे | एकूण मंजूर पदे | भरलेली पदे | रिक्त पदे | प्रवर्ग निहाय पदे व एकूण                                                      | मंजूर पदावर आवश्यक आरक्षण                         | प्रत्यक्ष दिलेले आरक्षण                    | अनुशेष                                            | शेरा                                                                                                                               |
|--------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | पदनाम                         | विषय                 |                                     |                                                 |                |            |           |                                                                               |                                                   |                                            |                                                   |                                                                                                                                    |
| ५      | व्याख्याता                    | ऑस्ट्रेट्रिक नर्सिंग | ०१                                  | —                                               | ०१             | —          | ०१        | अजा<br>अज<br>विजाभज<br>विमाप्र<br>इमाव<br>साशेमाप्र<br>आदुघ<br>अराखीव<br>एकूण | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>०१<br>०१       | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>०१ | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>०१        | एकाकी पदास आरक्षण लागू नाही.                                                                                                       |
|        |                               | सायकॅट्रिक नर्सिंग   | ०१                                  | —                                               | ०१             | —          | ०१        | अजा<br>अज<br>विजाभज<br>विमाप्र<br>इमाव<br>साशेमाप्र<br>आदुघ<br>अराखीव<br>एकूण | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>०१<br>०१       | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>०१ | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>०१        | एकाकी पदास आरक्षण लागू नाही.                                                                                                       |
| ६      | टयुटर / क्लिनिकल इन्स्ट्रक्टर | नर्सिंग              | १६                                  | —                                               | १६             | —          | १६        | अजा<br>अज<br>विजाभज<br>विमाप्र<br>इमाव<br>साशेमाप्र<br>आदुघ<br>अराखीव<br>एकूण | ०२<br>०१<br>०२<br>—<br>०३<br>०२<br>०२<br>०४<br>१६ | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>०० | ०२<br>०१<br>०२<br>—<br>०३<br>०२<br>०२<br>०४<br>१६ | अनुशेष खालीलप्रमाणे<br>अ.जा. - ०२<br>अ.ज. - ०१<br>वि.जा. (अ) - ०१<br>भा.ज. (ब) - ०१<br>इ.मा.व. - ०३<br>साशेमाप्र - ०२<br>आदुघ - ०२ |

अपंग अनुशेष

| संवर्ग<br>निहाय एकूण<br>पदे | प्रवर्ग निहाय पदे |       | आवश्यक (आरक्षण) | प्रवर्गनिहाय स्थिती      |                    | समांतर आरक्षण नसलेली पदे |       | समांतर आरक्षण निहाय पदे |       |                    |       |                                             |       |                 |       |                       |       |                     |       |               |       |                   |       |
|-----------------------------|-------------------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-------|-------------------------|-------|--------------------|-------|---------------------------------------------|-------|-----------------|-------|-----------------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|-------------------|-------|
|                             | प्रवर्ग           |       |                 | भरलेली / विरुद्ध बापल्ला | अनुशेष / रिक्त पदे | भरलेली                   | रिक्त | महिला (अ ते ड)          |       | माजी सैनिक (क व ड) |       | पदवीधर/ पदविकाधारक अंशकालीन उमेदवार (क व ड) |       | खेळाडू (अ ते ड) |       | प्रकल्पप्रस्त (क व ड) |       | भुरूपप्रस्त (क व ड) |       | अनाथ (अ ते ड) |       | विध्यांग (अ ते ड) |       |
|                             |                   |       |                 |                          |                    |                          |       | ३०%                     | १५%   | १०%                | ५%    | ५%                                          | २%    | १%              | ४%    |                       |       |                     |       |               |       |                   |       |
|                             | भरलेली            | रिक्त |                 | भरलेली                   | रिक्त              | भरलेली                   | रिक्त | भरलेली                  | रिक्त | भरलेली             | रिक्त | भरलेली                                      | रिक्त | भरलेली          | रिक्त | भरलेली                | रिक्त | भरलेली              | रिक्त | भरलेली        | रिक्त | भरलेली            | रिक्त |
| १६                          | अनुमूचित जाती     | १३%   | ०२              | -                        | ०२                 | -                        | ०१    | -                       | ०१    | -                  | -     | -                                           | -     | -               | -     | -                     | -     | -                   | -     | -             | -     | -                 |       |
|                             | अनुमूचित जमाती    | ७%    | ०१              | -                        | ०१                 | -                        | ०१    | -                       | -     | -                  | -     | -                                           | -     | -               | -     | -                     | -     | -                   | -     | -             | -     |                   |       |
|                             | विमुक्त जाती (अ)  | ३%    | ०१              | -                        | ०१                 | -                        | ०१    | -                       | -     | -                  | -     | -                                           | -     | -               | -     | -                     | -     | -                   | -     | -             | -     |                   |       |
|                             | भटक्या जमाती (ब)  | २.५%  | ०१              | -                        | ०१                 | -                        | ०१    | -                       | -     | -                  | -     | -                                           | -     | -               | -     | -                     | -     | -                   | -     | -             | -     |                   |       |
|                             | भटक्या जमाती (क)  | ३.५%  | -               | -                        | -                  | -                        | -     | -                       | -     | -                  | -     | -                                           | -     | -               | -     | -                     | -     | -                   | -     | -             | -     |                   |       |
|                             | भटक्या जमाती (ड)  | २%    | -               | -                        | -                  | -                        | -     | -                       | -     | -                  | -     | -                                           | -     | -               | -     | -                     | -     | -                   | -     | -             | -     |                   |       |
|                             | विशेष मागासवर्ग   | २%    | -               | -                        | -                  | -                        | -     | -                       | -     | -                  | -     | -                                           | -     | -               | -     | -                     | -     | -                   | -     | -             | -     |                   |       |
|                             | इतर मागासवर्ग     | १९%   | ०३              | -                        | ०३                 | -                        | ०२    | -                       | ०१    | -                  | -     | -                                           | -     | -               | -     | -                     | -     | -                   | -     | -             | -     |                   |       |
|                             | साशेमाप्र         | १०%   | ०२              | -                        | ०२                 | -                        | ०१    | -                       | ०१    | -                  | -     | -                                           | -     | -               | -     | -                     | -     | -                   | -     | -             | -     |                   |       |
|                             | आदुघ              | १०%   | ०२              | -                        | ०२                 | -                        | ०१    | -                       | ०१    | -                  | -     | -                                           | -     | -               | -     | -                     | -     | -                   | -     | -             | -     |                   |       |
| कुले वर्ग                   | २८%               | ०४    | -               | ०४                       | -                  | ०३                       | -     | ०१                      | -     | -                  | -     | -                                           | -     | -               | -     | -                     | -     | -                   | -     | -             |       |                   |       |
| एकूण                        |                   | १६    | -               | १६                       | -                  | ११                       | -     | ०५                      | -     | -                  | -     | -                                           | -     | -               | -     | -                     | -     | -                   | -     | -             | ०१    |                   |       |

टिप :-

१) महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निराधिसूचित जमाती (विमुक्त जमाती) भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्गीय यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम २००१ मधील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करावे.

२) आरक्षण कायदा कलम ३.(१) हा अधिनियम,-

(क) वैद्यकीय, तंत्र व शिक्षण क्षेत्रातील अति विशेषीकृत पदे :

(ख) बदली किंवा प्रतिनियुक्तीद्वारे भरावयाची पदे :

(ग) पंचेचाळीस दिवसांपेक्षा कमी कालावधीसाठीच्या तात्पुरत्या नियुक्त्या आणि

(घ) कोणत्याही संवर्गातील किंवा श्रेणीतील एकल (एकाकी) पद, यांव्यतिरिक्त, लोक सेवांमधील व पदांवरील सर्व नियुक्त्यांना लागू होईल.

आरक्षण कायदा कलम ४.(१) प्रमाणे :- या अधिनियमाद्वारे किंवा त्या अन्वये अन्यथा तरतूद केली नसेल तर, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निराधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्ग, यांसाठी राखून ठेवलेल्या जागा अशा जातीतील, जमातीतील, प्रवर्गातील किंवा वर्गातील नसलेल्या उमेदवारांद्वारे भरण्यात येणार नाहीत.

आरक्षण कायदा कलम ४.(२) प्रमाणे :- अ.जा.-१३%, अ.ज.-७%, विजा (अ)-३%, भ.ज. (ब)-२.५%, भ.ज. (क)-३.५%, भ.ज. (ड)-२%, वि.मा.प्र.-२%, इ.मा.व.-१९%, आदुघटक-१०%.

३) महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निराधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती) भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम २००१ (सन २००४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.८) अन्वये उपरोक्त नमुद केल्याप्रमाणे पदे आरक्षित ठेवणे व आरक्षणाविना पदे भरणे ही नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. सदर तरतुदींचे पालन न केल्यास संबंधिताविरुद्ध अधिनियमाच्या कलम ८ अन्वये पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, याची कृपया नोंद घ्यावी.

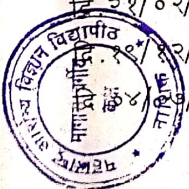
४) मआविवि अधिनियम १९९८ मधील कलम ७ (२) नुसार अनुसूचित जातीसाठी, अनुसूचित जमातीसाठी व इतर मागासवर्गासाठी, अध्यापक, अध्यापकेतर अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वेगवेगळ्या पदांवरील नियुक्त्यांच्या बाबतीत व संलग्न महाविद्यालयात, विद्यापीठ विभागात, विद्यापीठ संस्थेत किंवा मान्यताप्राप्त संस्थेत विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याच्या नियोजनाकरीता, विद्यापीठ राखीव जागा ठेवण्यासंबंधीतील शासनाचे धोरण व शासनाने वेळोवेळी दिलेले आदेश किंवा निदेश यांचा अंगीकार करील. तसेच, ७ (३) नुसार विद्यापीठ शासनाकडून वेळोवेळी निदेश देण्यात येईल त्यानुसार, समाजाच्या दुर्बल घटकांच्या विविध प्रवर्गांच्या व अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासंबंधात शासनाच्या सर्वसाधारण धोरणाचा अवलंब करील.

५) नियुक्ती प्राधिकारी यांनी पुरविलेल्या माहितीचे आधारे तात्पुरत्या बिंदूनामावलीची तपासणी करण्यात आली आहे. सदर माहिती चुकीची असल्याचे निष्पन्न झाल्यास व काही न्यायालयीन तक्रार उद्भवल्यास याबाबत संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी जबाबदार राहतील.

६) मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे कायमस्वरूपी नियुक्तीस जातप्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून पडताळणी करून घ्यावे या संदर्भात शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय परिपत्रक क्र. बीसीसी-२०१२/प्र.क्र.३३२/१२/१६-व दि.१८/०५/२०१३ व दि.३०/०७/२०१३, महाराष्ट्र लोकसेवा आरक्षण अधिनियम, २००१, महाराष्ट्र जातवैधता पडताळणी अधिनियम, २००० अनुसार कार्यवाही करणेत यावी. सर्व मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे जातप्रमाणपत्र व जातवैधताप्रमाणपत्र प्राप्त करून दफ्तरी ठेवावे.

७) शासनाचे आदेशानुसार सरळसेवा भरती व पदोन्नतीमध्ये शारीरीक दृष्ट्या अपंगाचे ४ टक्के आरक्षण भरणे आवश्यक आहे. शासन परिपत्रक दि.०६/०५/२००८ चे अनुषंगाने अपंगाची ४ टक्के आरक्षणाकरीता बिंदूनामावली नोंदवही गट निहाय ठेवण्यात यावी. तसेच, याबाबत शासन सामाजीक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंत्रालय परिपत्रक क्र. न्यायप्र-२०११/प्र.क्र.१२९/सुधार-३ दि.०४/०८/२०११ चे अपंगाचे आरक्षण भरण्याबाबत आदेश दिलेले असून, त्यानुसार अपंगाचा अनुशेष विहित मुदतीत पूर्ण करावा.

८) विद्यापीठाने तात्पुरत्या बिंदूनामावलीची तपासणी शासन निर्णय/परिपत्रक दि.०५/१२/१९९४, दि.२९/०३/१९९७, दि.१८/१०/१९९७, दि.२१/०९/१९९८, दि.०५/११/२००९, दि.१६/०३/१९९९, दि.२१/०२/२०१५, दि.०२/०३/२०१५, दि.१०/०३/२०१५, दि.३०/०६/२०१५, दि.०५/१२/२०१८, दि.१९/१२/२०१८, दि.०७/०१/२०१९, दि.१२/०२/२०१९, दि.१६/०२/२०१९, दि.१८/०२/२०१९, दि.२१/०२/२०१९, दि.०६/०७/२०२१, दि.२५/०२/२०२२, दि.११/०४/२०२२, दि.२७/०२/२०२४



दि. ०६/०३/२०२४ इ. व अवर सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे दि. २९/०४/२०२२ रोजीचे पत्र, अवर सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे दि. २४/०६/२०२२ रोजीचे पत्र तसेच विद्यापीठाच्या दि. १३/१२/२०२३ रोजीचे परिपत्रक क्र. ०१/२०२३ नुसार केलेली आहे.

९) "मा. उच्च न्यायालय (औरंगाबाद खंडपीठ) येथे दाखल केलेल्या याचिका क्र. १२०५१/२०१५ महाराष्ट्र ऑल बहूजन शिक्षक मंडळ विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि इतर मधील मा. उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयास अधिन राहून बिंदूनामावलीची तपासणी करून देण्यात आलेली आहे." तसेच, याचिका क्र. २७४७/२०१३, २८४६७/२०१३, ५८३०/२०१५ व ११८०९/१५ प्रलंबित असून, मा. उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयास अधिन राहून तात्पुरत्या बिंदूनामावलीची तपासणी करून देण्यात आलेली आहे.

१०) शासन निर्णय दि. २१/०९/१९९८ नुसार एकाकी पदास आरक्षण लागू नाही.

११) सद्यस्थितीत तात्पुरत्या स्वरूपाच्या बिंदूनामावली नोंदवहीची तपासणी करण्याकरीता पुरविण्यात आलेल्या माहितीत या नंतर कायमस्वरूपी बिंदूनामावली नोंदवहीच्या तपासणीच्या वेळी माहितीमध्ये जर तफावत दिसून आल्यास या संबंधित सर्व जबाबदारी हि संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी यांची राहिल.

१२) सदर शिक्षकांच्या तात्पुरत्या स्वरूपातील नियुक्त्यांची नोंद कायम स्वरूपी बिंदूनामावली नोंदवहीमध्ये घेण्यात येणार नाही याची प्रकर्षाने काळजी घ्यावी.

१३) विद्यापीठाने सदर महाविद्यालयास एकूण (००) अतिरिक्त पदे यापूर्वी मंजूर करून घेतलेली आहेत.

१४) महाविद्यालयाची चालू वर्षाची विषयनिहाय मंजूर शिक्षक आकृतीबंधानुसार तात्पुरती तपासणी केलेली आहे. महाविद्यालयांना तात्पुरती नियुक्त्यांची संधी दिल्यानंतर पुनःच तात्पुरत्या नियुक्तीकरीता बिंदूनामावली तपासणी तात्पुरत्या स्वरूपात करता येणार नाही. महाविद्यालयांना सहा महिन्यांच्या आत कायमस्वरूपी बिंदूनामावलीची प्रक्रिया राबविणे अनिवार्य असेल. तात्पुरत्या बिंदूनामावली प्रमाणे अनुशेषांची पदे न भरल्यास व यापासून भविष्यात कोणतेही न्यायालयील प्रकरणे उद्भवल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी नियुक्ती प्राधिकाऱ्याची असेल.

१५) महाविद्यालयाने मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचा प्रत्येकवर्षी किती अनुशेष भरला याबाबतचे वार्षिक विवरणपत्र तात्पुरत्या महाविद्यालयास संलग्न असलेल्या विभागीय मागासवर्ग कक्ष यांना पाठविणे आवश्यक आहे.

उपरोक्त तात्पुरते आरक्षण महाविद्यालयाने पुरविलेल्या माहितीवरून काढून देण्यात आलेले आहे. तसेच, श्रेण्याच्या रकान्यात संवर्गनिहाय / प्रवर्गनिहाय / विषयनिहाय श्रे नमूद केलेले आहेत.



आपला,  
  
समन्वयक  
विशेष कक्ष

प्रतिलिपी योग्य त्या कार्यवाहीस्तव: मा. विभागप्रमुख, शैक्षणिक विभाग-२.